सत्यमेव जयते

न्यायालय मुख्य आयुक्त निःशक्तजन

Court of Chief Commissioner for Persons with Disabilities

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

Ministry of Social Justice & Empowerment

निःशक्तता कार्य विभाग/Department of Disability Affairs

केस संख्या : 85/1101/12-13 **दिनांक : 02.04.2014**

के मामले मेः-

श्री प्रदीप राज,
मकान संख्या 165,
शाहदरा, नई दिल्ली-110032 .... शिकायतकर्ता

बनाम

भारतीय खेल प्राधिकरण,
(द्वाराः सचिव),
जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम काम्पलैक्स (ईस्ट गेट),
लोधी रोड, नई दिल्ली- 110003 .... प्रतिवादी संख्या 1

खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय,
(द्वाराः सचिव),
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली - 110001 ..... प्रतिवादी संख्या 2

सुनवाई की तारीखः-28.02.2013

उपस्थितः

1. श्री प्रदीप राज, शिकायतकर्ता साथ में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्वर्णा राज।
2. सर्वश्रीसी.एम.सत्याराज, सहायक निदेशक (स्टेडिया), डी. सी. तिवारी, कार्यालय अधीक्षक (स्टेडिया) एवं श्री पी. के. राघव, उप निदेशक (का.), प्रतिवादी की ओर से ।

आदेश

उपरोक्त शिकायतकर्ता, श्री प्रदीप राज ने निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995, जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है, के तहत निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करने से संबंधित शिकायता दिनांक 18.03.2013 प्रस्तुत की है ।

2. शिकायतकर्ता का कहना था कि वह पिछले 6 वर्षों से राष्ट्रीय पैरालिम्पिक टैबल टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन करा रहे हैं । इस वर्ष वे उपरोक्त प्रतियोगिता दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में कराना चाहते थे जिसके लिए उन्होंने भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक को पत्र लिखकर उक्त स्टेडियम में खिलाड़ियों के खेलने एवं 2 दिन ठहरने हेतु प्रबंध करवाने के लिए आग्रह किया था

.....2/-

क्योंकि उक्त स्टेडियम दिल्ली राष्ट्र मण्डल खेल 2010के लिए बना था जिसमें पैरालिम्पिक खेलों का आयोजन हुआ था । उनके अनुसार स्टेडियम में बाधारहित वातावरण एवंबाधारहित टायलेट भी हैं । परन्तु होस्टल निःशक्त खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है एवं कोई लिफ्ट तथा रेम्प भी नहीं हैं । शिकायतकर्ता का यह भी कहना था कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी होस्टल निःशक्त खिलाड़ियों के अनुकूल नहीं है क्योंकि होस्टल प्रथम एवं द्वितीय तल पर स्थित है । उन्होंने निम्नलिखित समस्याओं को उठाया :-

i. उपरोक्त दोनों स्टेडियमों के होस्टलों में कोई लिफ्ट या रेम्प नहीं हैं ।

ii. उपरोक्त दोनों स्टेडियमों में बाधारहित टायलेट तो हैं परन्तु ज्यादातर बन्द रहते हैं ।

iii. उपरोक्त दोनों स्टेडियमां के सभी रास्ते व्हीलचेयर वालों एवं बैसाखी वालों के अनुकूल नहीं हैं ।

iv. भारतीय खेल प्राधिकरण के किसी भी स्टेडियम में निःशक्त खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षक उपलब्ध नहीं हैं ।

v. उपरोक्त होस्टलों में निःशक्त खिलाड़ियों के रहने के लिए 100/- रुपए लिए जाते हैं ।

3. निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 46 के अनुसार - समुचित सरकारें और स्थानीय प्राधिकारी, अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, निम्नलिखित का उपबंध करेंगे, अर्थात् :-

(क) सार्वजनिक भवनों में ढलवीं रास्तों काउपबंध करना ;

(ख) शौचालयों को व्हील चेयन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के अनुकूल बनाना ;

(ग) उत्थापकों और लिफ्टों में ब्रेल प्रतीकों और श्रवण संकेतों का उपबंध करना ;

(घ) अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अन्य चिकित्सीय देखभाल और पुनर्वास संस्थाओं में ढलुवा रस्तों का उपबंध करना ।

4. मामला अधिनियम की धारा 59 के अधीन सचिव, भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम काम्पलैक्स, नई दिल्ली के साथ इस न्यायालय के पत्र दिनांक 03.05.2013 द्वारा उठाया गया ।

5. चूंकि प्रतिवादी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, उन्हें इस न्यायालय के पत्र दिनांक 28.06.2013 द्वारा मामले में अपने टिप्पण भेजने के लिए कहा गया।

6. शिकायतकर्ता ने पत्र दिनांक 30.10.2013 द्वारा अपनी शिकायत को दोहराते हुए आग्रह किया कि चूंकि अभी तक प्रतिवादी से टिप्पण प्राप्त नहीं हुए हैं, इस न्यायालय द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय द्वारा निःशक्त खिलाड़ियों के अधिकारों के हनन एवं अनदेखी करने के लिए कठोर कार्रवाई की जाए । साथ ही निःशक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 एवं यू.एन.सी.आर.पी.डी. के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए कार्रवाई के साथ-साथ मामले में सुनवाई भी की जाए ।

7. प्रतिवादी की ओर से इस मामले में इस न्यायालय के पत्र दिनांक 03.05.2013 एवं स्मरणपत्र दिनांक 28.06.2013 की कोई टिप्पणी/उत्तर प्राप्त न होने और शिकायतकर्ता के पत्र दिनांक 30.10.2013 के अवलोकन उपरान्त मामला सुनवाई के लिए दिनांक 28.02.2014 को नियत किया गया ।

8. सुनवाई के दिन श्री सुवर्ण राज पत्नी श्री प्रदीप राज, शिकायतकर्ता ने अपने लिखित कथनों को दोहराया । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रतिवादियों द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण के सभी स्टेडियम, सेंटर में विकलांग खिलाड़ियों के लिए स्पेशल कोच उपलब्ध कराए जाने चाहिएं जब वे विभिन्न खेलों के लिए प्रैक्टिस करते हैं ।

9. प्रतिवादियों के प्रतिनिधियों ने निवेदन किया इस न्यायालय का सुनवाई का नोटिस भारतीय खेल प्राधिकरण में प्राप्त हो गया था, तथापि, उसकी प्रति उनके कार्मिक शाखा में प्राप्त नहीं हुई थी । उन्होंने निवेदन किया कि इंदिरा गांधी स्टेडियम सहित सभी भारतीय खेल प्राधिकरणों में लिफ्टों की व्यवस्था है । यद्यपि, इंदिरा गांधी स्टेडियम एवं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के होस्टलों में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है, विकलांग खिलाड़ी ग्राउंड फ्लोर के कमरों का उपयोग कर सकते हैं । उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि व्हील चेयर प्रयोग करने वाले विकलांग खिलाड़ी प्रथम और दूसरे तल पर स्थित होस्टलों का लिफ्ट/रैम्पस उपलब्ध न होने के कारण उपयोग नहीं कर सकते ।

10. निःशक्त व्यक्ति अधिनियम की धारा 45-46 और यू.एन.सी.आर.पी.डी. का अनुच्छेद 9 समुचित सरकारों से अपेक्षा करता है कि वे विकलांग व्यक्तियों के लिए खेल सुविधाएं और अन्य स्थान तथा सेवाएं जोकि आम लोगों के लिए खुली हैं, की पहुंच सुनिश्चित कराएं ।

11. अतः भारतीय खेल प्राधिकरण को निदेश दिया जाता है कि वह विभिन्न स्टेडियमों में ऐसे होस्टलों का अन्य बातों के साथ ऐसे स्थानों पर लिफ्ट लगाने और कमरों का निर्माण कराना सुनिश्चित करें जिससे कि विकलांग व्यक्ति आसानी से पहुंच सकें और उन सुविधाओं का उपयोग तथा आनन्द दूसरों की भांति समान आधार पर उठा सकें । भारतीय खेल प्राधिकरण को यह भी निदेश दिया जाता है कि वे अपने कोचों (Coaches) के लिए एक ऐसे ट्रेनिंग माडयूल का विकास करे जिससे कि वे विकलांग खिलाड़ियों को कोचिंग दे सके । प्राधिकरण को यह भी सलाह दी जाती है कि वे विकलांग खिलाड़ियों को कोचिंग देने हेतु विहित निपुणता वाले कोचों का काडर बनाए ।

12. इस मामले में की गई कार्रवाई से इस न्यायालय तथा शिकायतकर्ता को इस आदेश के जारी होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर अवगत कराया जाए ।

13. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ मामले का निपटारा किया जाता है ।

(पी. के. पिन्चा)
मुख्य आयुक्त (निःशक्तजन)